(366)

सीहर

## भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-27-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला उज्जैन की तहसील उज्जैन एवं तहसील घट्टिया की सीमाएं, उसमें से, तहसील उज्जैन के पटवारी हल्का क्र. 34, 35, 38 से 40, 51 एवं 61 से 65 तथा तहसील घट्टिया के पटवारी हल्का क्र. 35 से 37 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और दो नवीन तहसीलें, उज्जैन के पटवारी हल्का क्र. 38 से 40 एवं 51 तथा तहसील घट्टिया के पटवारी हल्का क्र. 35 से 37 को समाविष्ट करते हुए तहसील उज्जैन नगर , जिसमें क्रमश: कुल 07 पटवारी हल्के और 15 ग्राम होंगे एवं तहसील उज्जैन के पटवारी हल्का क्र. 34, 35 एवं 61 से 65 को समाविष्ट करते हुए तहसील वज्जैन के पटवारी हल्के और 16 ग्राम समाविष्ट होंगे का गठन करती है. उक्त तहसीलों का मुख्यालय उज्जैन में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-27-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-27-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-27-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Ujjain and Tehsil Ghatiya of District Ujjain from 1st January, 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 34, 35, 38 to 40, 51 and 61 to 65 of Tehsil Ujjain and Patwari Halka No. 35 to 37 of Tehsil Ghatiya and creates two new Tehsils, Tehsil Ujjain Nagar by comprising of patwari halka No. 38 to 40 and 51 of Tehsil Ujjain and Patwari Halka No. 35 to 37 of Tehsil Ghatiya, in which the total Patwari Halkas shall be 07 and village shall be 15 and Tehsil Kothi Mahal by comprising of Patwari Halka No. 34 to 35 and 61 to 65

of Tehsil Ujjain in which the total Patwari Halkas shall be 07 and village shall be 16. The headquarter of the said Tehsils shall be at Ujjain.

> By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-28-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला सीहोर की तहसील सीहोर की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 19 एवं 20 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील सीहोर के पटवारी हल्का क्र. 19 एवं 20 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सीहोर नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 02 पटवारी हल्के होंगे और 05 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय सीहोर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-28-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-28-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव. Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-28-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Sehore of District Sehore, from 1st January, 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 19 and 20 and creates a new Tehsil Sehore Nagar by comprising of Patwari Halka No.19 and 20 of Tehsil Sehore, in which the total Patwari Halkas shall be 02 and villages Shall be 05. The headquarter of the said Tehsil shall be at Sehore.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, HARI RANJAN RAO, Principal Secy.